समाहरणालय, मधेपुरा
(स्थापना शाखा)
पत्रांक..103-2../स्था०

प्रेषक,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिलाधिकारी, मधेपुरा।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता,मधेपुरा।
उप विकास आयुक्त,मधेपुरा।
अनुमण्डल पदाधिकारी,मधेपुरा/उदाकिशुनगंज।
भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज।
सभी वरीय उप-समाहर्त्ता/ कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधेपुरा।
अवर निरीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक- 31 जनवरी 2014

विषय :- **आगामी लोक सभा आम निर्वाचन 2014 भारत निर्वाचन आयोग के प्राप्त निदेश के आलोक में निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारियों का स्थानांतरण एवं सूची के संधारण के संबंध में।**

प्रसंग :- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना का ज्ञापांक-333, दिनांक-16.01.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि आगामी लोक सभा आम निर्वाचन, 2014 के अवसर पर निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाना है।

इस संबंध में आयोग का निदेश है कि निर्वाचन के समय संचालन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों को उनके वर्त्तमान पदस्थापन के जिलों से बाहर पदस्थापित किया जाय, जो या तो गृह जिला में पदस्थापित हो या विगत चार वर्षो में कुल मिलाकर तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि से एक ही जिले में पदस्थापित हो। किन्हीं पदाधिकारी के एक ही जिला में अलग-अलग पदों पर पदस्थापित रहने की अवधि को भी इसमें जोड़कर गणना की जायेगी। साथ ही ऐसे पदाधिकारियों को भी निर्वाचन संबंधी कार्यो से अलग कर दिया जाना है, जिनके विरूद्ध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में अनुशासनिक कार्रवाई की गयी हो या जिन्हें निर्वाचन संबंधी कार्यो से अलग रखने का निर्णय लिया गया हो। या जिन पर निर्वाचन कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप हो।

भारत निर्वाचन आयोग का यह भी निदेश है कि यह आदेश उन सभी पदाधिकारियों के संबंध में लागू होगा, जो निर्वाचन के संचालन से सम्बद्ध हों। आयोग के अनुदेशों में इस प्रकार के पदाधिकारियों के सांकेतिक (किन्तु पूर्ण नहीं) पदनाम भी उल्लेख किये गये है। इनमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी/ निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी/ अपर जिला दण्डाधिकारी/ अनुमंडल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ तहसीलदार(बिहार राज्य के लिए अंचल अधिकारी)/ सभी उप समाहर्त्ता इत्यादि सम्मिलित है। साथ ही लोक सभा आम चुनाव 2014 से जुड़े पदाधिकारियों की विगत चार वर्षो में कुल मिलाकर तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि से एक ही जिले में पदस्थापित होने की गणना दिनांक-31.05.2014 के आधार पर की जायेगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना द्वारा इससे संबंधित विहित प्रपत्र निम्न प्रकार हैः-

विहित प्रपत्र

क्र0	पदाधिकारी का नाम	पदाधिकारी का सेवा संवर्ग एवं कोटि क्रमांक	पदनाम	संबंधित पदाधिकारी का गृह जिला	वर्त्तमान पदस्थापन की विवरणी (पदनाम/कार्यालय सहित)	वर्त्तमान पद पर इस जिला में कब से पदस्थापित है (तिथि/माह/वर्ष का उल्लेख करें)	इस जिला में 31.05.2010 से अबतक पदस्थापन का विवरण	
							धारित पद का नाम एवं कार्यालय का नाम	किस तिथि से पदस्थापित है
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अतएव अनुरोध है कि वांछित सूचनाएँ दिनांक-05.02.2014 तक अचूक रूप से जिला स्थापना शाखा, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
ह० 30/01/14
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिलाधिकारी, मधेपुरा।